1075930/2022/O/o PPM CELL-cAGR

बिहार बागवानी विकास सोसाईटी द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के लिए सामान्य कार्यान्वयन अनुदेश 2022-23

राज्य में समेकित उद्यानिक विकास हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तर्ज पर राज्य के 15 जिलों **यथा–अरवल, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमुर, लखीसराय, मधेपुरा, नवादा, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान एवं सुपौल** में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन का संचालन किया जा रहा है। वैसे अवयव जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन जिला में कम/नहीं है, उन सभी अवयवों का लक्ष्य राष्ट्रीय बागवानी मिशन से अच्छादित जिलों को भी मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना से दिया जायेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में उद्यानिक फसलों के समेकित विकास करना है। इसमें शामिल अवयवों को निम्न तीन श्रेणियों में विभक्त हैं :–

(क) **क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम** :– इस कार्यक्रम के तहत् बहुवर्षीय फलदार वृक्षों के नये बाग का स्थापना, (आम, लीच एवं अमरूद) टिश्यू कल्चर केला की खेती, पपीता की खेती,/ खुले पूष्प की खेती, मसाला की खेती, सगंधीय पौधे की खेती, आदि मुख्य रूप से सम्मिलित हैं।

(ख) **इनपुट/सामग्री/कम्पनी आधारित कार्यक्रम** :– इस कार्यक्रम के तहत् फ्रॉन्ट लाईन डिमॉन्स्ट्रेशन, मधुमक्खी बॉक्स, मधुमक्खी छत्ता, मधु निष्कासन यंत्र फूड ग्रेड कन्टेनर सहित, प्लास्टिक क्रेट्स, लेनो बैग, फ्रूट ट्रैप बैग, मशरूम स्पॉन वितरण अवयव इत्यादि हेतु आवश्यक इनपुट मुख्य रूप से सम्मिलित हैं।

(ग) **परियोजना आधारित कार्यक्रम** :– इस कार्यक्रम के तहत् आसवन इकाई (डिस्टिलेशन यूनिट) एवं सोलर माईक्रो कूल चैम्बर, आदि अवयव मुख्य रूप से सम्मिलित हैं। इस अवयव का कार्यान्वयन PHM अवयव हेतु तैयार सॉफ्टवेयर से किया जायेगा।

2. **<u>योजना के तहत् लाभुक चयन हेतु कृषक की पात्रता एवं प्रक्रिया</u>** :–

2.1 प्रत्येक कृषक को स्वीकृत योजना के प्रत्येक अवयव का लाभ पाने के लिए सर्वप्रथम कृषि विभाग के डी.बी.टी. कार्यक्रम हेतु संचालित एम.आई.एस. पोर्टल http://dbtagriculture.bihar.gov.in जो कि कृषि विभाग के विभागीय बेवसाईट से भी Linked है, पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, तभी वे योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

पर पंजीकरण कराने के पश्चात् कृषक को एक Unique I.D प्राप्त होगा। इस Unique ID को कृषकों द्वारा Online आवेदन हेतु विकसित App में निर्दिष्ट स्थान पर अनिवार्य रूप से दर्ज करते हुए Online आवेदन किया जायेगा।

2.3 जिन कृषकों द्वारा पूर्व में कृषि विभाग के किसी भी योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कृषि विभाग के DBT Portal dbtagriculture.bihar.gov.inपर पंजीकरण कराया जा चुका है तथा Unique IDप्राप्त किया जा चुका है, उन्हें पुनः उक्त Portal पर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। वैसे कृषकों द्वारा पूर्व के Unique ID से ही योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु Online आवेदन किया जायेगा।

2.4 प्रत्येक अवयव के लिए अलग–अलग कृषकों का चयन किया जायेगा।

2.5 जिन कृषकों द्वारा विगत तीन वर्षो के अन्दर इस योजना के किसी अवयव का लाभ लिया जा चुका है, उक्त कृषक का चयन उक्त अवयव के लिए नहीं किया जायेगा, परंतु वे अन्य अवयवों के लिए पात्र होंगे। Online आवेदन के स्वीकृति एवं कार्यादेश निर्गत के पहले सहायक निदेशक उद्यान इसे Online Portal पर अंकित घोषणा पत्र में प्रमाणित करना सुनिश्चित करेगें।

2.6 एक ही परिवार में पति एवं पत्नी योजना के लाभुक हो सकते हैं, बशर्त्ते पति एवं पत्नी के नाम से अलग–अलग भूमि Registered हों तथा भूमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र हो, अन्यथा किसी एक को ही लाभ मिल सकता है।

2.7 श्रेणीवार कार्यक्रम के तहत योजना के लाभ लेने हेतु निम्न प्रकार के कागजात आवश्यक होंगें।

क्र०सं०	अवयव	भूमि से संबंधित वांछित कागजात
1	बहुवर्षीय फलदार वृक्षों का क्षेत्र विस्तार	भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र/अद्यतन रसीद/ऑनलाईन अद्यतन रसीद
2	फूल/मशाला/सगंधित पौधे/सब्जी की खेती	भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र/अद्यतन रसीद/एकरारनामा (गैर–रैयत हेतु)
3	परियोजना आधारित कार्यक्रम	भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र
4	प्लास्टिक कैरेट, लेनों बैग, फ्रूट ट्रैप बैग	भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र/अद्यतन रसीद/एकरारनामा (गैर–रैयत हेतु)

वैसे कृषकों का भी चयन किया जा सकता है, जिनके पास पारिवारिक भूमि उपलब्ध हो। पारिवारिक भूमि होने की स्थिति में भूमि से संबंधित वांछित कागजात के साथ वंशावली समर्पित करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार द्वारा वंशावली निर्गत करने हेतु प्राधिकृत

[illegible]अधिकारी / मुखिया / सरपंच / प्रखंड प्रमुख इत्यादि) द्वारा निर्गत वंशाली प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

जिस जिला में कृषक का भूमि होगा (रैयत / गैर–रैयत) उसी जिला से योजनान्तर्गत लाभ देने की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगा।

2.7 (a) योजना अन्तर्गत अवयवार स्वीकृति का न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है :–

<table>
<tr><th>क्र०सं०</th><th>अवयव का नाम</th><th>न्यूनतम सीमा (हे० / सं० में)</th><th>अधिकतम सीमा (हे० / सं० में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>आम, अमरूद, लीची, पपीता, टिश्यू कल्चर केला,एवं अन्य सगंधित पौधे का क्षेत्र विस्तार</td><td rowspan="2">0.2 हे०</td><td>4 हे०</td></tr>
<tr><td>गेंदा फूल (लघु एवं सीमान्त कृषक) का क्षेत्र विस्तार</td><td>2 हे०</td></tr>
<tr><td>2</td><td>इनपुट आधारित अवयव</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td>परागण के बढ़ावा कार्यक्रम अन्तर्गत मधुमक्खी बॉक्स एवं मधुमक्खी कॉलनी का वितरण</td><td>10</td><td>50</td></tr>
<tr><td>प्लास्टिक क्रेट्स,</td><td>10</td><td>50</td></tr>
<tr><td>फ्रूट ट्रैप</td><td>600</td><td>12000</td></tr>
<tr><td>लेनो बैग</td><td>100</td><td>500</td></tr>
<tr><td>मशरूम किट वितरण</td><td>25</td><td>100</td></tr>
</table>

2.7 (b) योजना अन्तर्गत अवयवार कार्यान्वयन का समय यथा आवेदन प्राप्ति से लेकर स्वीकृत्यादेश निर्गत एवं भुगतान तक का समय सीमा सॉफ्टवेयर में निर्धारित किया गया है, जिसके आलोक में कार्यान्वयन कराया जायेगा, तथा समय–समय पर निदेशक उद्यान–सह–मिशन निदेशक के निदेश के आलोक में सॉफ्टवेयर में अनिवार्य संशोधन किया जा सकेगा।

2.8 Online App में आवेदक के द्वारा Upload की गई भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र / राजस्व रसीद / एकरारनामा में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर आवेदन रद्द किया जायेगा तथा आवेदन रद्द करने के कारण Online Portal में दर्ज की जायेगी।

भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र/राजस्व रसीद Online Generated Upload किया गया है, उस पर भी योजना का लाभ दिया जायेगा। भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र तीन साल पूर्व से अद्यतन एवं राजस्व रसीद/एकरारनामा चालू वित्तीय वर्ष का होने पर ही लाभ दिया जाय।

2.10 कृषक चयन में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों हेतु निर्धारित किये गये आरक्षण व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, जो स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना में स्पष्ट है। कृषक चयन में प्रत्येक वर्ग से 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जायेगा।

2.11 जिले में भारत सरकार/बिहार सरकार के विभिन्न योजनाओं के तहत पंजीकृत FPC/FPO/ समूह को मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के अवयवों से प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार लाभान्वित किया जायेगा।

2.12 मधुमक्खी पालन एवं मशरूम किट वितरण अवयव हेतु भूमि की अनिवार्यता नहीं होगी। परंतु मधुमक्खी पालन एवं मशरूम का प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से उनके पास उपलब्ध हो। मधुमक्खी पालन का कम से कम **तीन दिवसीय तथा मशरूम का दो दिवसीय** प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए।

2.13 मधुमक्खी पालन एवं मशरूम उत्पादन कार्यक्रम हेतु यथा सम्भव महिला कृषकों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

2.14 मधुमक्खी पालन योजना के लिए कृषकों का प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र राज्य के कृषि विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत संस्थान, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, के.भी.आई.सी., आत्मा, सरकारी संस्थानों, उद्यान निदेशालय, जीविका, से निर्गत हो मान्य होगा। किसी भी परिस्थिति मे बागवानी मिशन के अधीन पंजीकृत या सदृश्य प्राईवेट मधुमक्खी पालन अवयव आपूर्त्ति करने वाले फर्मों द्वारा निर्गत प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

2.15 स्वीकृत योजना के अवयवों के क्रियान्वयन जिले के Potential Block में कलस्टर में किया जायेगा तथा प्रखंडवार लक्ष्य का उपावंटन भी इसी अधार पर किया जायेगा, ताकि योजना का भौतिक सत्यापन/पर्यवेक्षण इत्यादि में सुविधा हो। सहायक निदेशक उद्यान द्वारा प्रखण्डवार एवं अवयवार उपावंटित लक्ष्य के आलोक में प्रखण्डवार एवं अवयवार **पहले आओ, पहले पाओ** के आधार पर स्वीकृति देने का कार्य का शत प्रतिशत अनुपालन सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जायेगा।

3. Online App में Upload की जाने वाली आवश्यक कागजात –:

...पत्र/अद्यतन रसीद/एकरारनामा/वंशावली।

3.2 कृषक का फोटोग्राफ।

3.3 पंजीकृत समूह का COI (Certificate of incorporation) यदि है/पंजीयन संख्या/कम्पनी का NOC (No objection certificate)

4. Online आवेदन से कार्यान्वयन तक के अवधि में विभिन्न स्तर पर समय सीमा।

स्वीकृत योजना के विभिन्न अवयवों के तहत लाभ लेने हेतु इच्छुक कृषक स्वयं/पंचायत के किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/प्रखंड उद्यान पदाधिकारी/ATM/BTM के सहयोग से **अवयवार कार्यान्वयन के उचित समय** को ध्यान में रखते हुए Online आवेदन कर सकते हैं।

⇓

Online आवेदन का मैसेज संबंधित प्रखंड के प्रखंड उद्यान पदाधिकारी/DPM (जीविका)/CEO (सब्जी सहकारी समिति)/संबंधित आवेदक को उपलब्ध होगा जिसके आधार पर सत्यापन का कार्य किया जायेगा।

⇓

इच्छुक कृषकों के द्वारा अवयववार योजना का लाभ लेने हेतु किया गया Online आवेदनों में वर्णित भूमि/Upload किया गया कागजातों की जाँच/सत्यापन का जाँच संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के द्वारा **क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम एवं इनपुट/सामग्री/कम्पनी आधारित कार्यक्रमों को सात (7) दिनों तथा परियोजना आधारित अवयवों को 10 दिनों के अन्दर** किया जायेगा तथा सत्यापित Online आवेदनों को सहायक निदेशक उद्यान के Login में कार्यादेश निर्गत हेतु भेजा जाय। इसका मैसेज संबंधित सहायक निदेशक उद्यान एवं संबंधित आवेदक को स्वतः जायेगा।

⇓

सहायक निदेशक उद्यान द्वारा **प्रत्येक दिन** अपने स्तर से जाँचोपरान्त अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर कार्यादेश निर्गत करने का कार्य किया जायेगा। जिसका मैसेज संबंधित कृषक के पंजीकृत मोबाईल पर जायेगा तथा कार्यादेश की प्रति कृषक स्वयं डाउनलोड कर कार्य प्रारंभ करेगें। इनपुट आधारित कार्यक्रमों से संबंधित कार्यादेश निर्गत होने की सूचना कृषक द्वारा चयनित आपूर्तिकर्ता को भी SMS के माध्यम से दिया जायेगा।

5. जिला उद्यान कार्यालय में प्राप्त Online आवेदन का अवयवार संधारण –:

5.1 अवयवार संचिका, लेखापाल द्वारा संधारित किया जायेगा, जिसमें Online निर्गत कार्यादेश की प्रति सुरक्षित रखी जायेगी।

5.2 अवयवार संधारित पंजी से कार्य निष्पादन उपरान्त भौतिक सत्यापन कराने, अनुदान भुगतान इत्यादि से संबंधित कार्रवाई पर सक्षम प्राधिकार (सहायक निदेशक उद्यान) से आदेश प्राप्त किया जायेगा। योजनान्तर्गत किसी प्रकार के पत्राचार इन्हीं संचिकाओं से ही किया जायेगा। यदि किसी अवयव के तहत् कृषक का भौतिक सत्यापन असंतोष पाया जाता है और नियमानुसार भुगतान नहीं किये जाने पर उसकी सूचना संबंधित कृषकों को Online मैसेज के आधार पर उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

6. कार्यक्रम हेतु आवश्यक पौध रोपण सामग्री, उपादान इत्यादि की उपलब्धता :–

6.1 कृषकों को फलदार पौध रोपण सामग्री राज्य बागवानी मिशन से संबद्ध किये गये श्रोतों से नगद या उधार (दोनों में से किसी भी युक्ति से जैसे कृषक चाहे) उपलब्ध कराया जायेगा।

6.2 पपीता का रेड लेडी प्रभेद (गायनोडायेशियस) का पौध रोपन सामग्री, सेन्टर ऑफ एक्सेलेंस, देसरी, वैशाली से संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान द्वारा कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा। **अन्य किसी श्रोत से पपीता पौध प्राप्ति की स्थिति में इस अवयव का अनुमान्य अनुदान संबंधित कृषकों को देय नहीं होगा।**

6.3 टिश्यू कल्चर केला के पौधा मिशन मुख्यालय द्वारा निविदा के माध्यम से चयनित एजेंसी एवं निर्धारित दर पर कृषकों को नकद या उधार (जैसा कृषक चाहे), उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

6.4 Other Aromatic Plants/ खुले फूल की खेती/मशाला की खेती हेतु पौध सामग्री/बीज की व्यवस्था कृषक द्वारा स्वयं किया जायेगा।

6.5 मशरूम की खेती अवयव के तहत आवश्यक उपादान (कम्पोस्ट एवं स्पॉन) का क्रय, राज्य बागवानी मिशन के PHM (Post Harvest Management) अवयव के तहत स्पॉन उत्पादन/कम्पोस्ट उत्पादन हेतु संस्थापित इकाइयों के साथ–साथ बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर/बिहार राज्य स्थित अन्य सरकारी संस्थानों/व्यवसायिक स्तर पर उत्पादन कर रहे प्रतिष्ठानों से किया जायेगा।

6.6 अवस्थित कृषि विश्वविद्यालयों और इससे संबद्ध संस्थाओं जहाँ गुणवत्तायुक्त पौध सामग्री तैयार किया जाता है, योजनान्तर्गत चयनित कृषक पौध सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु पौधा क्रय से संबंधित मूल्य अभिश्रव सहायक निदेशक उद्यान के कार्यालय में समर्पित करना होगा, तत्पश्चात् नियमानुसार सहायतानुदान देय होगा।

6.7 कार्यक्रम हेतु इनपुट आधारित वैसे सभी अवयवों, जिसके कार्यान्वयन के लिए सामग्री/उपादान इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु एजेंसी की आवश्यकता होती है, के लिए राज्य बागवानी मिशन मुख्यालय द्वारा विभिन्न एजेंसियों को पंजीकृत किया जाता है। वैसे कम्पनी, जिसका पंजीकरण संबंधित वित्तीय वर्ष में वैध हो या नवीनीकृत हो, से वैसे सभी अवयवों के तहत् सामग्री/उपादान कृषकों द्वारा एजेंसी से ही नकद या उधार (दोनों में से किसी भी एक युक्ति से, जैसा कृषक चाहे) क्रय/प्राप्त कराकर कार्यक्रम का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

राज्य बागवानी मिशन मुख्यालय से पंजीकृत एजेंसियों के अतिरिक्त अन्य किसी एजेंसियों से कृषक द्वारा ऐसे अवयवों के तहत् सामग्री/उपादान क्रय कर कार्यक्रम कार्यान्वित किये जाने की स्थिति में उक्त कृषकों को अनुमान्य अनुदान देय नहीं होगा। इसका अनुपालन सहायक निदेशक उद्यान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7. कार्यक्रम का सत्यापन :–

7.1 अवयवार निर्गत Online स्वीकृत्यादेश के आलोक में कार्यान्वयन अनुदेश के कंडिका–6 में वर्णित प्रक्रिया के तहत् सामग्री/उपादान (नगद या उधार दोनों में से किसी युक्ति से जैसा कृषक चाहे) क्रय कर चयनित कृषकों द्वारा कार्यक्रम सम्पादित किया जायेगा।

7.2 नियमानुसार सक्षम प्राधिकार (सहायक निदेशक उद्यान) द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत निर्गत स्वीकृत्यादेश में कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित अवधि के समाप्ति उपरान्त संबंधित प्रखंड के प्रखंड उद्यान पदाधिकारी या सहायक निदेशक उद्यान द्वारा प्राधिकृत (केवल तृतीय वर्ग के कर्मी) कर्मियों द्वारा सत्यापन का कार्य 7 दिनों के अन्दर सुनिश्चित किया जायेगा।

7.3 **जीविका एवं भेजफेड से संबंधित** :– जीविका एवं भेजफेड से संबंधित अवयवो के तहत प्राप्त ऑनलाईन आवेदन का प्रथम चरण सत्यापन का कार्य क्रमशः जीविका के DPM तथा भेजफेड के CEO के द्वारा किया जायेगा, जिसके

संबंधित सहायक निदेशक उद्यान के द्वारा कार्यादेश निर्गत किया जायेगा, तथा द्वितीय चरण का सत्यापन नियमानुसार प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

7.4 कार्यक्रम के सत्यापन के क्रम में जियो टैग, सेल्फी फोटोग्राफ संबंधित सत्यापनकर्ता कर्मी एवं लाभुक के साथ कराना अनिवार्य होगा।

7.5 कार्यक्रम के सत्यापन उपरान्त **ऑनलाईन प्रतिवेदन** तथा फोटोग्राफ निर्धारित समय सीमा के अन्दर Online Upload/Entry किया जायेगा।

7.6 प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के ऑनलाईन सत्यापन प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में सहायक निदेशक उद्यान द्वारा नियमानुसार सहायतानुदान की विमुक्ति भुगतान कोड के आधार पर ही सुनिश्चित की जायेगी।

8. DBT कार्यक्रम के तहत् अनुमान्य अनुदान विमुक्ति की प्रक्रिया :–

8.1 DBT कार्यक्रम के तहत् लाभुकों को अनुमान्य अनुदान कि विमुक्ति निम्न निरूपित दो विधि (यथा In cash transfer या In Kind Transfer) में से किसी भी विधि से किया जा सकता है, बशर्ते कि लाभुक कृषकों का Biometric Authentication उनके आधार नम्बर के साथ हो।

8.2 **In cash transfer**:–DBT कार्यक्रम के इस प्रक्रिया के तहत् कृषि विभाग के DBT Portal में पंजीकृत वैसे लाभुक कृषक जिनके द्वारा योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन किया गया है, तथा स्वयं के श्रोत/पूंजी/राशि से योजना के लिए आवश्यक पौध रोपण सामग्री/इनपुट इत्यादि चिन्हित विभागीय नर्सरी/कृषि विश्वविद्यालयों/बिहार बागवानी विकास सोसाइटी से इनपुट/सामग्री/उपादान उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत/सूचीबद्ध/निविदा से चयनित किए गए एजेन्सी से नकद क्रय कर योजना का कार्यान्वयन कराया जाता है, तो वैसे कृषकों के कार्यान्वित योजनाओं के क्षेत्र सत्यापनोपरांत पूर्ण संतुष्टि होने पर अनुमान्य अनुदान की राशि भुगतान हेतु नियमानुसार संचिका में प्रक्रिया अपनाकर सहायक निदेशक उद्यान द्वारा संबंधित लाभुक कृषकों के Online **आवेदन** के क्रम में अंकित आधार लिंक्ड बैंक खाते में सीधे RTGS के माध्यम से हस्तांतरित किया जायेगा।

चुकि Other Aromatic Plants/ खुले फूल की खेती/मशाला की खेती हेतु पौध सामग्री/बीज की व्यवस्था कृषक द्वारा स्वयं किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः इस अवयव हेतु कार्यान्वित योजनाओं के क्षेत्र सत्यापनोपरांत पूर्ण संतुष्टि होने पर अनुमान्य अनुदान की राशि भुगतान हेतु नियमानुसार संचिका में प्रतिक्रिया अपनाकर सहायक निदेशक उद्यान द्वारा संबंधित लाभुक कृषकों के Online **आवेदन**

आधार लिंक्ड बैंक खाते में सीधे RTGS के माध्यम से हस्तांतरित किया जायेगा।

8.3 In kind transfer:–

(क) DBT कार्यक्रम के इस प्रक्रिया के तहत् कृषि विभाग के DBT Portal में पंजीकृत वैसे लाभुक कृषक जिनके द्वारा योजना के लिए आवश्यक पौध रोपण सामग्री/इनपुट/उपादान इत्यादि बिहार बागवानी विकास सोसाईटी से चिन्हित सरकारी नर्सरी/कृषि विश्वविद्यालय/कृषि महाविद्यालय/ कृषि विज्ञान केन्द्र या बिहार बागवानी विकास सोसाइटी से इनपुट/उपादान/सामग्री उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत/सूचीबद्ध/निविदा से चयनित किए गए एजेंसी से उधार क्रय कर योजना का कार्यान्वयन कराया जाता है, तो वैसे कृषकों के कार्यान्वित योजनाओं का क्षेत्र सत्यापनोपरांत पूर्ण संतुष्टि होने पर अनुमान्य अनुदान की राशि सहायक निदेशक उद्यान द्वारा निम्न पद्धति से RTGS के माध्यम से विमुक्त/हस्तांतरित किया जाएगा :–

(i) लाभुक कृषकों के द्वारा निबंधित एजेंसी सेलिये गये सामग्री/इनपुट इत्यादि के अभिश्रव के कुल कीमत पर प्रावधानित देय अनुमान्य अनुदान की कुल राशि का 10% राशि लाभुक कृषक द्वारा अपने Online आवेदन में अंकित बैंक खाते से RTGS/Cheque/DD/किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से संबंधित सामग्री/इनपुट उपलब्ध/आपूर्ति करने वाले एजेंसी के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जायेगा **(एजेंसी को अपना बैंक खाता संख्या आई.एफ.एस.सी. कोड सहित एवं संबंधित बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति या Cancelled Cheque साक्ष्य के रूप में सहायक निदेशक उद्यान कार्यालय में जमा करना होगा)।**

(ii) यदि कृषक के आवेदन में वर्णित बैंक खाते में चेक की सुविधा उपलब्ध नहीं हो तो वैसी स्थिति में कृषक प्रावधानित देय अनुमान्य अनुदान की कुल राशि का 10 प्रतिशत राशि नकद भी संबंधित एजेंसी को भुगतान कर सकते हैं, परंतु संबंधित एजेंसी को अपने फर्म के क्रमांकित Money Receiptउक्त कृषकों को निर्गत करना अनिवार्य होगा, जिस पर कृषकों का प्राप्ति का प्रमाण अंकित कराना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त क्रमांक (i) एवं (ii) पर वर्णित निदेश में कृषकों द्वारा फर्म को अनुमान्य अनुदान की 10% राशि एवं फर्म को भुगतान की जाने वाली

अनुमान्य अनुदान की 90% राशि की गणना एवं प्रक्रिया को निम्न सारणी से समझा जा सकता है :–

अवयववार सहायतानुदान की गणना (सामान्य श्रेणी के लिए)

क्र०सं०	अवयव	इकाई	इकाई लागत	कुल सहायतानुदान	सहायतानुदान भुगतान की प्रक्रिया			एकाउन्ट टैगिंग हेतु कृषक अंश की राशि 10% (Refundable)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	हे०			प्रथम किस्त (60/75%)	द्वितीय किस्त (20/25%)	तृतीय किस्त (20%)	
	(क) सघन बागवानी	हे०	100000.00	50000 (50%)	30000 - X.Y	10000.00	10000.00	-
	(ख) टिश्यू कल्चर केला	हे०	125000.00	62500 (50%)	46875 - X.Y	15625.00	-	4687.5
	(ग) अनानास	हे०	87500.00	43750 (50%)	32812.5	10937.5	-	-
	(घ) पपीता	हे०	60000.00	45000 (75%)	33750 - X.Y	11250.00	-	3375.00
	इनपुट/उपादान/सामग्री आधारित अवयव							
	मधुमक्खी बॉक्स+आठ फ्रेम छत्ता सहित।	प्रति बॉक्स	4000.00	3000 (75%)	3000.00			300.00
				3600 (90%) SC/ST	3600			360.00
	मशरूम कीट वितरण	प्रति किट	60.00	54 (90%)	54.00			5.00
2	प्लास्टिक कैरेट	प्रति कैरेट	400.00	360 (90%)	360.00			36.00

उपरोक्त तालिका के

a) कॉलम 06 (प्रथम किस्त) में वर्णित **'X'** प्रति हेक्टेयर पौधा की संख्या तथा **'Y'** प्रति पौधे विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य को दर्शाता है।

b) कॉलम 09 की राशि, कृषक द्वारा अपने खाते से एजेंसी के खाते में चेक/आर.टी. जी.एस./डिमाण्ड ड्राफ्ट/अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्तिके माध्यम से स्थानांतरित करेगा या नकद भुगतान कर फर्म से Money Receipt प्राप्त किया जायेगा, यह राज्य स्तर से चयनित एवं पंजीकृत कम्पनियों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली इनपुट/उपादान/सामग्री से संबंधित अवयवों के लिए लागू होगा।

c) पौध सामग्री का मूल्य प्रथम वर्ष के अनुमान्य अनुदान की राशि से समायोजित किया जायेगा। पौधे का मूल्य प्रथम वर्ष के अनुमान्य अनुदान की राशि से अधिक होने पर पौधे के मूल्य की अवशेष राशि कृषक द्वारा अपने खाते से एजेंसी के खाते में चेक/आर.टी.जी.एस./डिमाण्ड ड्राफ्ट/अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या नकद के रूप में भुगतान किये गये अनुमान्य अनुदान की **10% राशि से** समायोजित करा सकते हैं। इसके बावजुद भी पौधे का मूल्य की अवशेष कुछ शेष रह जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में द्वितीय किस्त की अनुमान्य अनुदान की राशि से भी समायोजित करा सकता है या स्वयं नकद के रूप में एजेंसी को भुगतान कर सकता है।

नर्सरी/कृषि विश्वविद्यालय/सरकारी संस्थान से कृषकों द्वारा उधार क्रय किये गये पौधे के मूल्य की कुल कीमत (किसान का अंश एवं अनुदान की राशि) सहायक निदेशक उद्यान द्वारा सीधे संबंधित संस्थान को CFMS के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

e) इनपुट/उपादान/सामग्री आधारित अवयव यथा प्रागण के बढ़ावा कार्यक्रम अन्तर्गत मधुमक्खी बॉक्स वितरण, प्लास्टि कैरेट, लेनों बैग, फ्रूट ट्रैप बैग एवं मशरूम किट वितरण इत्यादि अवयवों अन्तर्गत अवयवार निर्धारित इकाई लागत का नियमानुसार अनुमान्य अनुदान की राशि का 10 प्रतिशत कृषक द्वारा अपने खाते से **एजेंसी** के खाते में चेक/आर.टी.जी.एस./डिमाण्ड ड्राफ्ट/अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्तिके माध्यम से स्थानांतरित करेगा या नकद भुगतान कर फर्म से Money Receipt प्राप्त किया जायेगा। जिसके आधार पर पंजीकृत कम्पनीयों द्वारा कृषकों को उपादान की आपूर्ति की जायेगा, तथा कृषकों के सहमति प्रमाण–पत्र के आधार पर अवयवार अनुमान्य अनुदान की राशि संबंधित कम्पनीयों को DBT कार्यक्रम के तहत् CFMS के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। **कृषक शेयर के भुगतान हेतु सहायक निदेशक उद्यान/बिहार बागवानी विकास सोसाईटी की कोई जिम्मेवारी या भूमिका नहीं होगी।**

f) एजेंसी द्वारा लाभुक कृषकों के प्रमाण–युक्त अभिश्रव के साथ कृषक द्वारा अनुमान्य अनुदान की 10% राशि के एजेंसी के बैंक खाते में भुगतान/हस्तांतरण किये गये transactionका साक्ष्य या नकद भुगतान किये जाने की स्थिति में फर्म द्वारा अपने फर्म का क्रमांकित कृषकों को निर्गत किये गये मनी रसीद की प्रति का साक्ष्य अभिश्रव के साथ sub-voucherके रूप में संलग्न कर सहायक निदेशक उद्यान को समर्पित किया जाएगा, जिसके जाँचोपरांत सहायक निदेशक उद्यान द्वारा अभिश्रव की राशि पर देय अनुमान्य अनुदान की कुल राशि का शेष 90% राशि एजेंसी के संबंधित बैंक खाते एवं 10% राशि संबंधित लाभुक के संबंधित बैंक खाते में RTGS के माध्यम से विमुक्त कर दिया जायेगा।

g) परागन के बढ़ावा कार्यक्रम अन्तर्गत अनुमान्य अनुदान, सामान्य श्रेणी के लिए इकाई लागत का 75 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 90 प्रतिशत निर्धारित है, जिसके आलोक में सहायतानुदान का गणना कर In kind transfer के तहत नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

इस प्रकार DBT कार्यक्रम के तहत् In kind transfer में देय अनुमान्य अनुदान के भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण किया जायेगा।

... के क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम में कृषकों को उधार में उपलब्ध कराये गये पौध रोपण सामग्री के कुल मूल्य का समायोजन यदि प्रथम किस्त के अनुमान्य अनुदान की राशि से प्रतिपूरित नहीं हो पाती है तो प्रथम किस्त के अनुमान्य अनुदान की राशि समायोजन के पश्चात् पौध रोपण सामग्री के अवशेष मूल्य (कीमत) की प्राप्ति संबंधित लाभुक कृषक से किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। यदि संबंधित लाभुक कृषक अवशेष मूल्य (कीमत) भुगतान करने की स्थिति में न हो तो इस परिवेश में इसका समायोजन कृषक को मिलने वाले द्वितीय किस्त के अनुमान्य अनुदान की राशि से सुनिश्चित किया जायेगा।

9. दायित्त्व :–

9.1 किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/ATM/BTM/प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी का दायित्त्व

9.1.1 स्वीकृत योजना के संबंध में कृषकों के बीच प्रचार–प्रसार करना।

9.1.2 अपने–अपने कार्यक्षेत्रों में इच्छुक कृषकों को स्वीकृत योजना के अवयवार लक्ष्य के आलोक में प्रखंडवार उपावंटित लक्ष्य के तहत् Online आवेदन कराना।

9.1.3 अवयवार प्रत्येक दिन प्राप्त Online आवेदन के साथ Upload किया गया कागजात/वर्णित भूमि का सत्यापन कर, अनुशंसा के साथ स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु सहायक निदेशक उद्यान के Login में निर्धारित समय सीमा (आवेदन की तिथि से 7 दिन) के तहत् भेजना।

9.2 सहायक निदेशक उद्यान का दायित्त्व

9.2.1 जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला बागवानी विकास समिति से राज्य बागवानी मिशन मुख्यालय द्वारा जिलों को आवंटित लक्ष्य का अनुमोदन प्राप्त कर क्रियान्वित किया जायेगा।

9.2.2 योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु कार्यशाला, जागरूकता अभियान इत्यादि का आयोजन।

9.2.3 उप समिति की बैठक में अवयवार निर्गत स्वीकृत्यादेश को समय–समय पर सत्यापन के साथ–साथ पहले **"आओ पहले पाओ का सत्यापन"**।

9.2.4 प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी/कृषि समन्वयक को संबंधित प्रखण्ड/पंचायत हेतु स–समय लक्ष्य उपलब्ध करना तथा उस लक्ष्य के विरूद्ध लक्ष्य प्राप्ति का समीक्षा करना।

9.2.5 लक्ष्य का उपावंटन प्रखंड के पोटेंशियल के हिसाब से सुनिश्चित करना।

अवयवों का बिना किसी विलम्ब के भौतिक सत्यापन हेतु निदेशित करना।

9.2.7 योजना के प्रगति का समीक्षा करना तथा मासिक प्रगति प्रतिवेदन से प्रमंडलीय उप निदेशक उद्यान/मिशन निदेशक को अवगत कराना। साथ ही साथ अवयवार प्रगति को संसूचित सॉफ्टवेयर में अपलोड करना।

9.2.8 दिए गए निर्देश के आलोक में अनुमान्य अनुदान ससमय भुगतान सुनिश्चित करना।

9.4 प्रमण्डलीय उप निदेशक उद्यान –:

9.4.1 प्रमण्डल स्तर पर योजना के प्रगति का पर्यवेक्षण एवं मासिक समीक्षा करना एवं बैठक की कार्यवाही से मिशन मुख्यालय को अवगत कराना।

9.4.2 उप समिति की बैठक करना तथा सहायक निदेशक उद्यान के एजेंडों पर निर्णय एवं निदेश देना।

9.4.3 योजना के तहत् विभिन्न अवयवों के कार्यान्वयन के उचित समय को ध्यान में रखते हुए अपने प्रमंडल के सहायक निदेशक उद्यान को आवश्यक दिशा–निर्देश देना ताकि योजना की प्रगति समय से हो सके।

9.5 प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) –:

9.5.1 प्रमंडल स्तर पर योजना का प्रगति का पर्यवेक्षण एवं समीक्षा करना।

9.6 योजना के नोडल पदाधिकारी का दायित्व –:

9.6.1 योजना का समय–समय पर उचित माध्यम से समीक्षा करना।

9.6.2 योजना के कार्यान्वयन के क्रम में जिलों से प्राप्त पत्रों का त्वरित निष्पादन कराकर निदेश उपलब्ध कराना।

9.6.3 योजना के मासिक प्रगति के समेकित प्रतिवेदन तैयार कराकर मिशन निदेशक राज्य बागवानी मिशन को उपलब्ध कराना।

9.7 जिला पदाधिकारी –सह– अध्यक्ष, जिला बागवानी विकास समिति का दायित्व

9.7.1 जिला पदाधिकारी अपने जिला में इस कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालन करवायेंगे एवं योजना का पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण करेंगे।

9.8 मिशन निदेशक –:

9.8.1 राज्य स्तर पर योजना का समीक्षा, पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण करेगें।

9.8.2 योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु समय–समय पर आवश्यक निदेश एवं मार्गदर्शन।

10. अनुश्रवण एवं निरीक्षण :–

10.1 प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी, प्रखण्ड में कार्यान्वित योजनाओं का स---समय शत–प्रतिशत निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन जियो टैग फोटोग्राफ के साथ अपलोड करेगें।

10.2 जिला स्तर पर सहायक निदेशक उद्यान, जिला में संचालित योजनाओं का **10 प्रतिशत** निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन मन्तव्य के साथ एक सप्ताह के अन्दर अपलोड करेगें।

10.3 प्रमण्डलीय उप निदेशक उद्यान के द्वारा प्रमण्डल में कार्यान्वित योजनाओं का **2 प्रतिशत** निरीक्षण करेंगे एवं निरीक्षण प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर अपलोड करेगें।

10.4 मुख्यालय स्तर पर पदस्थापित पदाधिकारी **1 प्रतिशत** योजनाओं का निरीक्षण करेंगे एवं निरीक्षण प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर मिशन निदेशक को समर्पित करेंगे।

11. कार्यक्रम का अनुश्रवण :–

11.1 जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी/सहायक निदेशक उद्यान, प्रमण्डल स्तर पर उप निदेशक उद्यान एवं राज्य स्तर पर संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी/मिशन निदेशक, बिहार बागवानी विकास सोसाईटी द्वारा कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जायेगा।

12. योजना का प्रगति प्रतिवेदन :–

सहायक निदेशक उद्यान द्वारा इस कार्यक्रम के प्रगति प्रतिवेदन (भौतिक एवं वित्तीय) राज्य बागवानी मिशन द्वारा उपलब्ध कराये गये Online Software में प्रत्येक 15 दिनों पर निश्चित रूप से अपलोड किया जायेगा। समीक्षा के क्रम में जिलावार Online Software Upload प्रतिवेदन ही मान्य होगा।

मिशन निदेशक,
राज्य बागवानी मिशन,बिहार, पटना।

1075930/2022/O/o PPM_CELL-AGR

A 41-

प्रस्तावित योजना एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री कृषि की स्वीकृति E-office की संचिका संख्या - NHM/BHDS/107/2022 के Note - 30 (संचिका पृष्ठ सं० 36-37/टि०) पर प्राप्त है। उक्त के आलोक में संचिका के शीर्ष पर कार्यान्वयन अनुदेश रक्षित है, जिस पर माननीय मंत्री कृषि का अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।

29.6.22

उपनिदेशक (प्रा०उ०)

कृपया उपरोक्त टि० एवं प्रस्तावित संचिका शीर्ष पर रक्षित मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के लिए वर्ष 2022-23 हेतु कार्यान्वयन अनुदेश प्रारूप अवलोकन किया जा सकता है।

कृपया उपरोक्त पर माननीय मंत्री कृषि का अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।

29/06/2022

निदेशक उद्यान

उपरोक्त टिप्पणी।
टि० 30-28/प० पर मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना का स्वीकृत्यादेश निर्गत है। उक्त योजना से संबंधित कार्यान्वयन अनुदेश प्रारूप पर मा० मंत्री, कृषि का कृपया अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।

29-6-2022

विशेष सचिव

अशोक प्रसाद

कृपया

सचिव

1.7.22

कृपया अनुमोदनार्थ

रवीन्द्र नाथ राय

मा. मंत्री

(डॉ० एन० सरवण कुमार)

1/7/22

12/07/2022

(डॉ० एन० सरवण कुमार)

मंत्री, कृषि कोषांग
संचिका डायरी संख्या 478
दिनांक 04-07-2022

सचिव, कृषि कोषांग
02 JUL 2022
संचिका पंजी संख्या 2754

विशेष सचिव
कृषि विभाग
संचिका प्राप्ति सं० 666
तारीख 29/6/2022

पी०पी०एम० कोषांग
प्राप्ति की तिथि 12/07/22